न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 191/10

1. रामगोपाल मृतक जरिये उत्तराधिकारी :–
   1/1. जुगल किशोर पुत्र रामगोपाल बैरागी निवासी पुलिस चौकी के पास, छावनी कोटा ।
   1/2. लेखराज पुत्र (मृतक) जरिये उत्तराधिकारी :–
   1/2/1. गायत्री विधवा लेखराज निवासी पुलिस चौकी के पास, छावनी, कोटा ।
   1/2/2. मंजू पुत्री लेखराज धर्मपत्नी श्री गोपालकृष्ण बैरागी निवासी सुवासा तहसील तालेडा जिला बून्दी ।
   1/2/3. गरिमा उर्फ कल्लू पुत्री लेखराज पत्नी उमाशंकर बैरागी निवासी बिजोलिया तहसील बिजोलिया ।
   1/2/4. शानू पुत्री लेखराज निवासी छावनी, कोटा ।

———अपीलान्ट

बनाम

1. ओमप्रकाश पुत्र धनपाल बेरागी निवीस झाड आमली तहसील सांगोद जिला कोटा ।
2. चन्द्र प्रकाश पुत्र धनपाल (मृतक) जरिये कायममुकामान :–
   2/1. संगीता विधवा चन्द्रप्रकाश पुत्री मांगीलाल बेरागी निवासी रामगंजमण्डी जिला कोटा ।
   2/2. गुड्डी पुत्री चन्द्रप्रकाश नाबालिग जरिये वली माता संगीता बेरागी ।
   2/3. पप्पू पुत्र चन्द्रप्रकाश नाबालिग जरिये वली माता संगीता बेरागी ।
3. रामस्वरूप वल्द कल्याणदास बेरागी निवासी हनोतिया तहसील दीगोद जिला कोटा ।

———रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री जगदीश नन्दवाना, श्री धीरेन्द्र मालव, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से
2. श्री डी0 एल0 नागर, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय दिनांकः 12.11.2018

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सांगोद जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 28.09.2004 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी रेस्पोडेन्ट क्रम 1 व 2 ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88, 89 एवं 188 के अन्तर्गत

वाद पेश कर निवेदन किया कि ग्राम पीसाहेडा में खसरा नम्बर 190, 191 एवं 192 कुल 03 किता की 36 बीघा 17 बिस्वा भूमि स्थित है । ग्राम खडीपुर में आराजी खसरा नम्बर 04 की रकबा 19 बीघा 18 बिस्वा भूमि स्थित है । उक्त भूमि वादीगण के दादा श्री भंवर दास वल्द रतन दास कौम बैरागी के तन्हा खाते एवं कब्जे की है । मृतक श्री भंवर दास ने वादीगण से विशेष प्रेम होने से एवं वादीगण की सेवाओं से खुश होकर उक्त दोनों ग्रामों की आराजी बख्शीश रजिस्टर्ड दान पत्र द्वारा दिनांक 10.11.1972 को दानपत्र निष्पादित कर दानपत्र रजिस्टर्ड करवा दिया । तब से ही वादीगण उक्त आराजी पर बहैसियत खातेदार एवं मालिक काबिज चले आ रहे हैं । प्रतिवादीगण ने वादीगण को सूचित किये बिना ही गुप–चुप तरीके से ग्राम पीसाहेडा की आराजी में इंतकाल तस्दीक करवा लिया । उक्त इंतकाल के आधार पर प्रतिवादीगण उक्त भूमि से वादीगण को बेदखल कर कब्जा करने पर आमादा हैं ।

3. अतः वादीगण के हक में प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की डिक्री पारित की जावे कि वादग्रस्त आराजी का वादीगण को तन्हा खातेदार कृषक एवं मालिक घोषित किया जावे और राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वह वादीगण के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की मदाखलत व मजाहमत नहीं करें । दौराने मुकदमा यदि यह पाया जावे कि प्रतिवादीगण ने आराजियात मुतदाविया अथवा उसके किसी हिस्से पर कब्जा कर लिया है तो उन्हें उससे बेदखल कर वादीगण को कब्जा मय पेनेल्टी वापस दिलाया जावे ।

4. अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रामगंजमण्डी ने अपने निर्णय दिनांक 19.03.1987 के द्वारा दावा वादी खारिज कर दिया । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 19.03.1987 से विरूद्ध न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा में अपील पेश की गई जिसमें न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा ने अपने निर्णय दिनांक 22.04.1994 को अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को पुनः निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित कर दिया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 28.09.2004 के द्वारा वादीगण का वाद स्वीकार करते हुए डिक्री कर दिया ।

6. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 28.09.2004 से व्यथित होकर प्रतिवादीगण अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने दावे एवं जवाबदावे के आधार पर 09 तनकीयात कायम की थी जिसमें ग्राम खडीपुर की भूमि पर वादी को कब्जा संभलाने की कोई तनकी नहीं बनाई इस पर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना तनकी के तथा बनी हुई तनकीयात पर विचार किये बिना ही निर्णय पारित कर दिया जो व्यवहार प्रकिया संहिता के आदेश 20 नियम 05 के प्रावधानों के विपरीत है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 28.09.2004 निरस्त फरमाया जावे ।

7. अपीलान्ट ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का पेश कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 30.01.2003 वास्ते एकतरफा आदेश को निरस्त करने के विरूद्ध धारा 230 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत राजस्व मण्डल अजमेर कैम्प कोटा में निगरानी पेश की थी जिसमें श्री मांगीलाल जी असावासत एडवोकेट अपीलान्टगण की पैरवी कर रहे थे । इस निगरानी में अधीनस्थ

न्यायालय की पत्रावली तलब की गई थी तथा दिनांक 05.05.2004 को श्री द्वारका लाल नागर ने गैर सायल की ओर से उपस्थिति दी थी तथा पत्रावली तलबी में चल रही थी । उनके वकील ने अपीलान्ट से कहा कि उन्हें प्रत्येक तारीख पेशी पर आने की आवश्यकता नहीं है इसी बीच अपीलान्ट के अभिभाषक यामिन मोहम्मद का भी स्वर्गवास हो गया जिससे अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की जानकारी प्राप्त नहीं हो सकी थी । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त निर्णय एवं डिक्री की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 05.10.2010 को पटवारी द्वारा कब्जा संभालने के लिए कहने पर हुई जिस पर उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री की नकल प्राप्त कर यह अपील न्यायालय हाजा में पेश की गई है । अतः जानकारी के अभाव में अपील पेश करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ।

8. अपील अपीलान्ट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया ।

9. प्रार्थी रेस्पोडेन्ट ने न्यायालय हाजा में एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सीपीसी का पेश कर प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजात को रिकॉर्ड पर लिये जाने का निवेदन किया ।

10. हमने उक्त प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजात में माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर में पेश निगरानी की प्रमाणित प्रति एवं माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल के आदेश दिनांक 15.07.2009 की प्रमाणित प्रतियॉ पेश की हैं । उक्त दस्तावेज प्रमाणित प्रतियॉ हैं जिनकी विश्वसनीयता पर संदेह नहीं किया जा सकता व प्रकरण से सम्बन्धित है । अतः न्यायहित में प्रार्थी रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सीपीसी स्वीकार किया जाकर प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजात को रिकॉर्ड पर लिये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है ।

11. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेन्ट क्रम 1 व 2 ने एक दावा अन्तर्गत धारा 88, 89 एवं 188 का पेश किया था । इस दावे में 09 तनकीयात कायम की गई और दिनांक 19.03.1997 को रेस्पोडेन्ट का दावा खारिज कर दिया गया । रेस्पोडेन्ट द्वारा उक्त आदेश दिनांक 19.03.1987 की अपील माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा में पेश की गई जिसमें माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा ने अपने निर्णय दिनांक 22.04.94 के द्वारा अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए प्ररकण अधीनस्थ न्यायालय को पुनः निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित कर दिया । इसके उपरान्त अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय पारित करते हुए रेस्पोडेन्टगण का दावा एकतरफा डिक्री कर दिया । अधीनस्थ न्यायालय ने दावे एवं जवाबदावे के आधार पर 09 तनकीयात कायम की थी जिसमें ग्राम खडीपुर की भूमि पर वादी को कब्जा संभलाने की कोई तनकी नहीं बनाई । इस पर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना तनकी के तथा बनी हुई तनकीयात पर विचार किये बिना ही निर्णय पारित कर दिया जो व्यवहार प्रकिया संहिता के आदेश 20 नियम 05 के प्रावधानों के विपरित है । अधीनस्थ न्यायालय ने रामगोपाल के कायममुकामान को रिकॉर्ड पर लेने के बाद प्रतिवादी की हैसियत से कोई सूचना नहीं दी गई इस कारण एकतरफा कार्यवाही अवैध है । दानपत्र नाबालिग के पक्ष में किया गया है और दान को स्वीकार करने के लिए सहमति स्वरूप किसी के हस्ताक्षर नहीं हैं । कब्जा संभलाने का जो आदेश पारित किया गया

है वह विधि – विरूद्ध है क्योंकि इसमें धारा 209 के तहत कोई प्रार्थना पत्र पेश नहीं किया गया है और न ही यह स्पष्ट किया गया है कि अपीलान्ट ने कब अतिक्रमण कर लिया । अपीलान्ट को जिरह करने का मौका नहीं दिया गया है और न ही रिबटल में साक्ष्य पेश करने का मौका दिया गया है । वादग्रस्त आराजी पुश्तैनी है जिसको दान नहीं दिया जा सकता । दिनांक 08.02.1995 को अन्तर्गत आदेश 22 नियम 04 का प्रार्थना पत्र पेश किया गया । पत्रावली कायममुकामान की तलबी में लम्बित थी । दिनांक 01.04.97 को प्रतिवादी के कायममुकामान की ओर से श्री लालचन्द जैन एडवोकेट की ओर से वकालतामाना पेश किया जाना अंकित किया गया है । इसके बाद पत्रावली दिनांक 07.08.1998 की आदेशिका के अनुसार उपखण्ड अधिकारी, रामगंजमण्डी से सहायक कलक्टर, सांगोद को अंतरित की गई और पक्षकारान की तलबी के आदेश दिये गये थे । दिनांक 04.05.2000 की आदेशिका के अनुसार रामगोपाल के कायममुकामान में लेखराज को छोडकर अन्य की तलबी मानी गई है और रामगोपाल के कायममुकामान को रिकॉर्ड पर लेकर उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही गई है जबकि कायममुकामान को रिकॉर्ड पर लेकर बहैसियत प्रतिवादी उनकी तामील किया जाना विधिक रूप से अनिवार्य है । दिनांक 03.08.2000 को मृतक लेखराज के कायममुकामान के खिलाफ एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये हैं जबकि इनमें से जो नाबालिग कायममुकामान हैं उनके वली के उपस्थित नहीं होने पर न्यायालय की जिम्मेदारी थी कि उनके संरक्षक नियुक्त करते । इस प्रकार जो एकतरफा कार्यवाही की गई वह विधि – विरूद्ध है । अपीलान्टगण ने अधीनस्थ न्यायालय में एक तरफा कार्यवाही को निरस्त करने का प्रार्थना पत्र पेश किया है जिसे निरस्त किया गया है । इसके खिलाफ माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर में निगरानी पेश की गई । अभिभाषक द्वारा अपीलान्ट को सूचित किया गया था कि माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल में निगरानी पेडिंग है इसलिए सांगोद जाने की आवश्यकता नहीं है । इसी बीच अपीलान्ट के अभिभाषक यामिन मोहम्मद का भी स्वर्गवास हो गया । इस कारण अपीलाधीन निर्णय की जानकारी समय पर नहीं हो पायी । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 28.09.2004 निरस्त फरमाया जावे । उन्होंने अपने कथन की पुष्टि में 2017 (2) सीजे (सिविल) पेज 1168, 1985 आरआरडी पेज 112, 2016 (2) आरआरटी पेज 1373, 2011 (1) आरआरटी पेज 399, 2015 (2) आरआरटी 1283, 1998 आरआरडी पेज 44, 2003 आरआरटी (1) पेज 709 उद्धरत की ।

12. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में निवेदन किया कि वादीगण रेस्पोडेन्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में दानपत्र के आधार पर हक, घोषणा का दावा पेश किया है और दावे में यह अंकित किया है कि यदि दौराने मुकदमा यह पाया जावे कि वादग्रस्त आराजी के किसी हिस्से पर प्रतिवादीगण ने कब्जा कर लिया है तो उन्हें बेदखल कर कब्जा दिलाया जावे । आराजी जरिये रजिस्टर्ड दानपत्र वादीगण के पक्ष में मृतक भंवरदास ने दान की है और दानपत्र के आधार पर वाद की मद संख्या 3 में वादीगण का तन्हा कब्जा बतलाया गया है । जब वादीगण का कब्जा है तो दान को स्वीकार करना स्वयं सिद्ध होता है । वादी ने अपने बयानों में भी स्वयं का कब्जा बतलाया है । वादीगण ने अपने वाद के समर्थ में दस्तावेज पेश किये हैं जो प्रदर्श– 01 से लेकर 13 तक हैं । आराजियात भंवर सिंह की स्वअर्जित है । अपील अवधि बाधित है और विलम्ब का समुचित कारण नहीं बतलाया है । कायममुकामान की तलबी विधि सम्मत रूप से की गई है उनकी ओर से वकालतनामा भी पेश किया गया था दिनांक 14.11.2002 को अपीलान्ट जुगल किशोर स्वयं न्यायालय में उपस्थित हुआ है । अपीलान्ट ने गुलाब बाई एवं लीलाधर को पक्षकार नहीं बनाया है इसलिए अपील मेन्टेनेबल नहीं है । अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज फरमाई जावे । उन्होंने अपने कथन की पुष्टि में 1995 (2) आरबीजे पेज 03, 2017 (1) आरआरटी पेज 711, 2017 (1) आरआरटी

पेज 117, 2007 (2) (एससी) आरआरटी पेज 939, एआईआर 1971 (एससी) पेज 240, एआईआर 1991 (उडीसा) पेज 151, 2003 (2) आरआरटी पेज 739, 2003 आरआरडी पेज 331, 2009 (2) आरआरटी पेज 867 उद्धरत की ।

13. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में दस्तावेज वादी की ओर से नकल जमाबन्दी संवत् 2024 से 2027 प्रदर्श – पी–1, नकल जमाबन्दी संवत् 2025 से 2028 प्रदर्श– पी–2, नकल जमाबन्दी संवत् 2025 से 2028 ग्राम पीपाखेडा प्रदर्श– पी– 3, नकल खसरा गिरदावरी संवत् 2027–28 ग्राम खडीपुर प्रदर्श– पी–4, असल दानपत्र प्रदर्श पी–5, नकल मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श – 8, नकल जमाबन्दी ग्राम पीपाहेडा संवत् 2005 से 2008 प्रदर्श– 10 नकल जमाबन्दी संवत् 2045 से 2048 ग्राम खजूरी प्रदर्श– 11, नकल जमाबन्दी सवंत् 2016 से 2019 प्रदर्श – 12, नकल जमाबन्दी संवत् 2043 से 2046 प्रदर्श – 14 संलग्न हैं ।

14. वादी की ओर से बयान धनपाल पी.डब्ल्यू.–1, रामकरण पीडब्ल्यू–2, ओमप्रकाश पीडब्ल्यू–3 कराये है। प्रतिवादी की ओर से बयान रामगोपाल डी.डब्ल्यू.–1, छोटा लाल डीडब्ल्यू–2, कन्हैया लाल डीडब्ल्यू– 3 कराये हैं ।

15. अधीनस्थ न्यायालय में वादी रेस्पोडेन्टगण ने एक दावा हक, घोषणा का वादग्रस्त आराजी के बाबत् पेश किया था जिसको अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 19.03.1987 को खारिज किया गया था इसकी अपील पेश होने पर इस न्यायालय के द्वारा अपने निर्णय दिनांक 22.04.94 के द्वारा अपील आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड कर दिया । इसके उपरान्त अधीनस्थ न्यायालय ने अपने अपीलाधीन निर्णय के द्वारा दावा वादी डिक्री कर दिया । अधीनस्थ न्यायालय ने दावे एवं जवाबदावे के आधार पर 09 तनकीयात कायम की थी परन्तु निर्णय तनकीवार पारित नहीं किया है जो व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आदेश 20 नियम 05 के प्रावधानों का उल्लंघन है । आरआरटी 2011 (1) पेज 399 यहॉ चस्पा होती है । अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में ग्राम खडीपुर की आराजी खसरा नम्बर 04 का कब्जा वादीगण को दिलाये जाने का भी आदेश पारित किया है जबकि इस बाबत् कोई तनकी कायम नहीं की गई है । अधीनस्थ न्यायालय की आदेश संचिका दिनांक 04.05.2000 के अनुसार रामगोपाल के कायममुकामान में लेखराज को छोडकर रामगोपाल के शेष कायममुकामान को रिकॉर्ड पर लिया गया है और उसी दिन उनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही की गई है, जबकि विधिक प्रावधानों के अनुसार कायममुकामान को रिकॉर्ड पर लेने के उपरान्त बहैसियत प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किया जाना आवश्यक होता है । माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान की नजीर सीजे सिविल 2017 (2) पेज 1168 यहॉ चस्पा होती है ।

16. यहॉ यह भी उल्लेखनीय है कि अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 03.08.2000 के अनुसार मृतक लेखराज के कायममुकामान के खिलाफ एक तरफा कार्यवाही की गई है । आदेशिका के अनुसार लेखराज के कायममुकामान में उनकी पुत्रियॉ संजू कुमारी और मंजू कुमारी दोनों ही नाबालिंग हैं । ऐसी स्थिति में उनके खिलाफ एकतरफा कार्यवाही किये जाने से पूर्व न्यायालय की भी यह जिम्मेदारी थी कि उनके संरक्षक नियुक्त करते । आरआरडी 1995 पेज 112 यहॉ चस्पा होती है ।

17. जहॉ तक अपीलान्ट के द्वारा गुलाब बाई एवं लीलाधर को पक्षकार नहीं बनाये जाने का प्रश्न है इस क्रम में अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 04.05.2000 के अनुसार गुलाब बाई का नाम पूर्व में ही तर्क किया जा चुका है और अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने दौराने

बहस यह अवगत करवाया गया है कि लीलाधर 12 वर्ष की उम्र से ही घर छोडकर चला गया है उसका कुछ अता–पता नहीं है । अपीलान्ट के विद्धमन अभिभाषक ने यह भी अवगत करवाया है कि रामगोपाल की विधवा पत्नी उषा देवी की भी मृत्यु हो चुकी है और उनके कायममुकामान पूर्व से ही रिकॉर्ड पर हैं ।

18. अपीलान्ट के द्वारा अपील विलम्ब से पेश की गई है । रेस्पोडेन्ट के विद्धान अधिवक्ता ने विलम्ब को अत्याधिक बताया है और विलम्ब को क्षम्य नहीं करने का निवेदन किया है परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय पारित करने में विधिक प्रावधानों की अवहेलना की है । तनकीवार निर्णय पारित नहीं किया है, बेदखली बाबत् तनकी बनाये बिना ही निर्णय पारित किया है, कायममुकामान को रिकॉर्ड पर लेने के उपरान्त उनको विधिक प्रावधानों के अनुसार बहैसियत प्रतिवादी नोटिस जारी नहीं किये गये हैं और नाबालिग पक्षकारों के संरक्षक नियुक्त किये बिना ही उनके खिलाफ एकतरफा कार्यवाही की गई है । इस प्रकार उक्त अपीलाधीन निर्णय विधि – विरूद्ध है और ऐसा निर्णय जो विधिक प्रावधानों के विपरीत होता है उसमें विलम्ब को कण्डोन करने के लिए कोई समय–सीमा नहीं होती है । ऐसी स्थिति में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम न्यायहित में स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षम्य किया जाता है ।

19. उपरोक्त विवेचन के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 28.09.2004 विधिक प्रावधानों के विपरीत होने एवं त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है ।

20. अतः अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 28.09.2004 निरस्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि अपीलान्ट प्रतिवादी वादी रेस्पोडेन्ट के गवाहों से जिरह करना चाहे तो उनसे जिरह करने का अवसर एवं रिवटल में साक्ष्य पेश करने का अवसर प्रदान कर नये सिरे से तनकीवार निर्णय अन्दर 03 माह पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 24.12.2018 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थि हों ।

21. निर्णय आज दिनांक 12.11.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

12.11.18

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा